लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 163वीं बैठक दिनांक 07 मई, 2018 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

01.	श्री अनिल गर्ग	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री कौशल राज शर्मा	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री संजय कुमार मिश्र	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि–सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
06.	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री आर0के0 शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
08.	श्री जी0पी0 श्रीवास्तव	संयुक्त पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन।
09.	श्रीमती रेखा श्रीवास्तव	अपर सांख्यकीय अधिकारी, प्रतिनिधि–अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
10.	श्री अनिल कुमार मिश्र	नगर नियोजक, प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

अन्य उपस्थितिः–

11.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री विश्व भूषण मिश्र	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 / आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के औपचारिक स्वागत के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.12.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.12.2017 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तृत चर्चा की गई। वित्त नियंत्रक द्वारा बजट के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए प्राधिकरण के मा0 सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 का आय-व्ययक निम्नानुसार सर्वसम्मति से पारित किया गया:-

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व आय के मद में रू 362.00 करोड़ तथा पूंजीगत आय के मद में रू0 2154.82 करोड़ अर्थात् प्रारम्भिक अवशेष सहित कुल रू0 2516.82 करोड़ आय का बजट स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत राजस्व व्यय के मद में रू 314.73 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय के मद में रू0 1932. 36 करोड़ अर्थात् कुल रू0 2247.09 करोड़ के व्यय का बजट स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया।
- उपरोक्त बजट में व्यय मद संख्या-331 एस0टी0पी0 निर्माण कानपुर रोड में प्रस्तावित रू0 60.00 करोड़ के स्थान पर रू0 05.00 करोड़ के व्यय के साथ संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 4 निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्राधिकरण की सम्पत्तियों को पी0पी0पी0 मोड पर विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्राधिकरण की सम्पत्तियों का पी0पी0पी0 मोड पर

विकास किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निजी सहभागिता हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों, दिशा निर्देशों व शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 5 — भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अध्याय 26 के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर बहु–आवासीय इकाईयों के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त सीवेज, जल आपूर्ति एवं अवस्थापना सुविधाएं हेतु जनसंख्या घनत्व के सापेक्ष जांच कराकर सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

विषय संख्या : 6 — पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से जनित होने वाली फ्लाई ऐश के उपयोग के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रकरण से सम्बन्धित शासनादेशों द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश एवं अधिसूचना को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 7 — नियोजित रूप से विकसित/स्वीकृति उपरान्त विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले मानचित्रों के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त सुविचारित प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिशा–निर्देश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। पूर्व के निर्माणों को भी नियमित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय संख्या : 8 — जानकीपुरम् योजना के सेक्टर–जे विस्तार के अंश भाग पर पुनर्नियोजन कर तैयार किये गये एवं व्यवसायिक भूखण्ड से सम्बन्धी तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त केवल अध्यासितों (Only For Residents) हेतु सुविधाजनक दुकानें तथा 'बार' रहित जलपान गृह के उपयोगार्थ व्यावसायिक भूखण्ड सृजित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 9 — डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट/मेडिकल साइंस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिसर से एकेडमिक ब्लॉक भवन के मध्य सब–वे कनेक्ट करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट/मेडिकल साइंस से जानकारी प्राप्त कर ली जाएं कि प्रस्ताव सब–वे हेतु है अथवा फुट ओवर ब्रिज के लिए। डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट/मेडिकल साइंस के एकेडमिक एवं चिकित्सालय के दोनों विभागाध्यक्षों से सहमति

प्राप्त होने के उपरान्त परिचालन के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

विषय संख्या : 10

यू0पी0 एस्बेस्ट्स लि0, ग्राम–मऊ, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ के क्षेत्रफल 19.088 हे0 भूमि का भू–उपयोग आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त यह निर्देश दिये गये कि भू–उपयोग परिवर्तन के क्रम में जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाय। चूँकि प्रकरण हाल में सम्पन्न हुई इन्वेस्टर्स सम्मिट से आच्छादित है। अतः शासन औद्योगिक विकास विभाग से भी अभिमत प्राप्त करना चाहें।

विषय संख्या : 11

श्री सुभाष चन्द्र, लेखाकार की पत्नी श्रीमती संध्या श्रीवास्तव की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 6,45,357/– (रूपये छः लाख पैतालीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त श्री सुभाष चन्द्र, लेखाकार की पत्नी श्रीमती संध्या श्रीवास्तव की चिकित्सा पर व्यय कुल धनराशि रू0 6,45,357/– (छः लाख पैतालीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। चिकित्सा व्यय के बिल को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी सत्यापित कराने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 12

आश्रयहीन भवन सेक्टर–एच, बसंतकुंज, हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में प्रस्ताव संख्या–14 पर लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार कर प्राधिकरण की वैध आवंटियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त आश्रयहीन भवन, सेक्टर–एच, बसंतकुंज, हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में अनुमोदित किये गये प्रस्ताव संख्या–14 (योजना में अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों को समायोजित कर दिया जाय) को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–3962/2018 में दिनांक 09.02.2018 को व्यक्त की गई अप्रसन्नता के दृष्टिगत समायोजन के निर्णय को निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 13	विकास प्राधिकरणों में समूह–'ग' एवं 'घ' (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह–'ग' एवं 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार पर कार्यरत या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
विषय संख्या : 14	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम–बिजनौर की 11.2 हे0 आवासीय एवं 5.6 हे0 भूमि पर एस0टी0पी0 भू–उपयोग दर्शित कराने एवं इसके साथ ही ग्राम–बिजनौर की अवशेष भूमि एवं ग्राम–रसूलपुर, इथुरिया का भू–उपयोग के निर्धारण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को अभिकरण नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की गयी। लीडा से लखनऊ विकास प्राधिकरण में अधिसूचित हुए ग्राम–बिजनौर की शेष भूमि तथा ग्राम–रसूलपुर इथुरिया के भू–उपयोग निर्धारण हेतु विकास प्राधिकरण से कार्यवाही के निर्देश दिये गये, जिस पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से सहमति प्राप्त कर विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
विषय संख्या : 15	लखनऊ विकास प्राधिकरण के 15 से 19 वर्ष पुराने 03 अद्द हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं पूर्व में निष्प्रयोज्य 11 हल्के वाहनों के स्थान पर 06 अद्द नये विद्युत चालित हल्के वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 16	चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु मा0 मंत्री परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
निर्णय :	मा0 मंत्री परिषद के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही भूमि के विक्रय विलेख (Sale Deed) निष्पादित होने के पश्चात् प्रारम्भ की जाये।

विषय संख्या : 17 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा–संशोधित 2011 /2016) के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों पर स्टिल्ट फ्लोर की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ शासन को संदर्भित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी कि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग केवल पार्किंग हेतु अनुमन्य की जाए। उक्त स्टिल्ट फ्लोर पर पार्किंग, जीना एवं लिफ्ट के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा।

विषय संख्या : 18 मा0 विधान परिषद की अंकुश समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अनार्जित भूमि खसरा संख्या–36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त मा0 विधान परिषद की अंकुश समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अनार्जित भूमि खसरा संख्या–36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा, लखनऊ के सापेक्ष भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अनार्जित भूमि के मूल्य के बराबर (डीएम सर्किल रेट) दूसरी भूमि किसी अन्य योजना में प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत दी जाय।

विषय संख्या : 19 द हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 लखनऊ द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–10507/एमबी/2010 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 एवं पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के अनुपालन में समिति को भूमि देने विषयक।

निर्णय : द हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 लखनऊ द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–10507/एमबी/2010 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 एवं पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के अनुपालन में बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से अनुमोदित करा लिया गया है।

विषय संख्या : 20 मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2018 के क्रम में श्रीमती नसीम बानो को आवंटित भूखण्ड एवं श्री सैय्यद आरिफ सुहैल द्वारा काबिज भू–भाग के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

<u>निर्णय :</u>

मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्णय दिनांक 09.04.2018 को बोर्ड द्वारा संज्ञान में लेते हुए प्रचलित विधिक प्रक्रिया एवं नियमों के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(इन्दु शेखर सिंह)
मुख्य अभियन्ता

11/5/18
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

<u>अनुमोदित</u>

(अनिल गर्ग) 11/5/18
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।